आज ही के दिन 1954 में बॉलीवुड की सदाबहार और प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा का जन्म हुआ था।

देहरादून

दैनिक भास्कर
गुरुवार, 10 अक्टूबर, 2024 देहरादून 03

सारसुर्खियां

गुलदार की दो खालों सहित तस्कर गिरफ्तार

देहरादून। वन्य जीव तस्करी मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से गुलदार की दो खालें बरामद की गयी है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि बीते दिनो डब्ल्यूसीसीबी दिल्ली से उत्तराखण्ड एसटीएफ को सूचना मिली थी कि पुरोला उत्तरकाशी क्षेत्र में वन्य जीव जन्तुओं के अंगो तथा खाल की अवैध तस्करी हो रही है, जिसे उत्तराखण्ड एसटीएफ द्वारा अपने स्थानीय सूत्रों से डेवलप किया गया। जिस पर बुधवार को लीसा भण्डार पुरोला को जाने वाले रास्ते से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जिसने अपना नाम बृजमोहन पुत्र जनक सिंह निवसी पुरोला उत्तरकाशी बताया और जिसके कब्जे से 2 गुलदार की खाल जिनकी लम्बाई क्रमशः 6 फीट तथा 8 फीट लगभग पायी गयी है, बरामद की गयी है। बताया कि गुलदार को वन्यजीव जन्तु संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची में रखा गया है।

अधिवक्ताओं हेतु चिकित्सा शिविर का किया आयोजन

हरिद्वार। रोशनाबाद स्थित जिला न्यायालय परिसर में जिला बार एशोसिएशन के बार रूप में भारत विकास परिषद की पंचपुरी शाखा ने अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु चिकित्सा शिविर का आयोजन मैक्स अस्पताल देहरादून के सहयोग से किया गया। डॉ. सिराज खान (एम बी बी एस) डॉ. दृष्टि सुराज गुप्ता (एमबीबीएस, एमडी) और डॉ गीतिका राव ने कैंप में आने वाले सभी अधिवक्ताओं को जीवन यापन करते हुए किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है,के उपायों के बारे में बताया तथा उनकी बीमारियों की जांच की। शिविर में कुल 287 वकीलों ने न्यूरो, आर्थो, जनरल फिजिशियन के साथ ही बीपी, शुगर की जांच करवाई।

राज्यपाल ने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में टेका मत्था

- प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए की प्रार्थना
- हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने से एक दिन पूर्व हेमकुंड साहिब पहुंचे राज्यपाल

भास्कर समाचार सेवा

हेमकुंड साहिब के दर्शन करते राज्यपाल गुरमीत सिंह।

चमोली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को चमोली में स्थित पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। राज्यपाल के हेमकुंड साहिब पहुंचने पर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से बातचीत की और हेमकुंड पहुंचे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि सच्चे बादशाह गुरु नानक देव जी ने हमको सरलता, नम्रता, करुणा, सेवा आदि का जो सबक सिखाया है वह बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है। उन्होंने कहा कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहां आकर मुझे सभी श्रद्धालुओं का जो स्नेह व आशीर्वाद मिला है उससे मैं अभिभूत हूं। राज्यपाल ने वापसी में घांघरिया गुरुद्वारे में भी मत्था टेका और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए कामना की। हेमकुंड में हुए अवस्थापना विकास कार्यों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हेमकुंड आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु पैदल मार्ग और हेलीपैड बहुत अच्छा बना है। उन्होंने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कहा कि रोपवे बनने से आने वाले दिनों में हेमकुंड की यात्रा बेहद सुखद होगी। इस दौरान हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह, पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार, उप जिलाधिकारी चन्द्रशेखर वशिष्ठ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

डीएम ने डेंगू/मलेरिया जांच को एलिसा मशीन जिला चिकित्सालय को दी

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत है, इसी के क्रम में आज जिला चिकित्सालय को डेंगू/मलेरिया जांच हेतु एलिसा मशीन जिला चिकित्सालय को दी तथा सीएमओ को 20 फागिंग मशीन एवं स्प्रे मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। डीएम स्वयं चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण कर चिकित्सालयों की व्यवस्था देख रहे हैं। साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद अवस्थित चिकित्सालयों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिसके क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून द्वारा जनपद अवस्थित चिकित्सालयों का निरीक्षण गतिमान है। बैठक के दौरान चिकित्सालयों में जो सुविधाएं बताई जा रही हैं, निरीक्षण के दौरान सभी चिकित्साल में उपलब्ध हों यह सुनिश्चित कर लिया जाए।

सूचना

आर्मी न० 14470248L रैंक EX HAV नाम SHIV SINGH निवास डी/23 राघव विहार आर्केडिया पो०ओ० प्रेमनगर देहरादून उत्तराखण्ड अभिलेखों में मेरी पुत्री का नाम (POOJA KUMARI BISHT) है जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम (POOJA BISHT) है जिसे अपने सैन्य अभिलेखों में परिवर्तन कराना चाहता हूं जिसको कोर्ट देहरादून से जारी शपथ पत्र IN UK50132191528076W एवं नोटरी द्वारा दिनांक 09-10-2024 को प्रमाणित एवं सत्यापित किया गया है!

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हिमालय मानव संस्थान पुरोलासंस्था का कार्यालय पता नेहरू नगर दुर्गा मंदिर मार्ग खाबली सेरा पुरोला मे पूर्व वर्ष 01 मार्च 2017से वर्ष 31-12-2023तक उक्त स्थानपर कार्यलय था वर्तमान समय वर्ष दिनांक 01-01-2024से कार्यलय का स्थानतरण वर्तमान कार्यलय पता कुंवर सिंह रावत आवास ग्राम भद्रासु (खरसाड़ी)गडूगाड़ तसील मोरी उत्तरकाशी पिन कोड 249185से विधिमान्य एवं पुकारा जायेगा जिससे की आने वाले पत्राचार एवं सम्पर्क हेतु भद्रासु खरसाड़ी मोरी से जाना जायेगा।

सूचना

प्रार्थी का नाम पासपोर्ट संख्या 115998329 में पूर्व का नाम ROHIT SINGH CHAUHAN दर्ज व अंकित हो रखा है। अब मैंने अपना नाम बदलकर रोहित चौहान ROHIT CHAUHAN कर लिया है। भविष्य में मुझे रोहित चौहान ROHIT CHAUHAN के नाम से जाना व पुकारा जाए।
रोहित चौहान
पुत्र श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान,
निवासी- औरा ग्रीन सोसाइटी, एलपी वीलास होटल के पास, सैनिक कालोनी, सुद्धोवाला, प्रेमनगर, देहरादून।

INFORMATION

Due to mistake, my father's name PRADEEP THAPLIYAL and mother's name SHOBHA THAPLIYAL have been wrongly recorded in my military records, whereas my father's correct name is PRADEEP and mother's correct name is SHOBHA DEVI.
Number 14951680A SEP RAHUL THAPLIYAL Resident Bishanpur Post Office Kumbhichaur Kotdwar Pauri Garhwal.

पुनर्निर्माण कार्यों में रखें गुणवत्ता का ध्यानः रतूड़ी

एसडीआरएफ के तहत होने वाले सुरक्षात्मक कार्यों में समयबद्धता को दें प्राथमिकता

भास्कर समाचार सेवा

बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देतीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी।

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूडी ने एसडीआरएफ (राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि) के तहत होने वाले विभिन्न सुरक्षात्मक एवं पुनर्निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्धता को प्राथमिकता देने की सख्त हिदायत दी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को एसडीआरएफ (राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि) के तहत होने वाले विभिन्न सुरक्षात्मक एवं पुर्ननिर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्धता को प्राथमिकता देने की सख्त हिदायत दी है।

रतूड़ी ने बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो के साथ ही नदियों के नियमित चौनलाइजेशन करने के निर्देश दिए हैं। जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में आबादी की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता पर रखने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कटाव स्थलों पर त्वरित कार्यवाही करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर नियमित निरीक्षण के लिए भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत क्षतिग्रस्त केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के सुरक्षात्मक कार्यों, रूद्रप्रयाग में ऊखीमठ के बेडुला तिमली तोक व सरूणा गांवों की मधुगंगा नदी से कटाव सुरक्षा योजना, ऊखीमठ के पैज गांव की आवासीय बस्ती के समीप वैजकृकरोखी मोटर मार्ग पर भूकृधंसाव एवं भूकृस्खलन की रोकथाम हेतु सुरक्षा योजना, रा. ई. कालेज वैडा के समीप हो रहे। भूस्खलन एवं आकाश कामिनी नदी से कटाव सुरक्षा योजना, सीतापुर बाजार की पातीगाड एवं मन्दाकिनी नदी के दांये तट से कटाव सुरक्षा योजना, सोनप्रयाग में सोन नदी के बाएं तट पर बिजली घर पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों, सोनप्रयाग में सोन व मन्दाकिनी नदी के संगम में डाउन स्ट्रीम में निर्मित योजनाओं के सुरक्षात्मक कार्यों, ऊखीमठ की मंगोली आवासीय बस्ती की कुपडा गदेरे से कटाव सुरक्षा योजना, उत्तरकाशी के बड़कोट के बनास गांव में आबादी के बचाव हेतु सुरक्षात्मक कार्यों, उधमसिंहनगर के सितारगंज में निर्मल नगर को बैगुल नदी की बाढ़ से बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना जैसे विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया। सचिवालय में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रस्तावों पर अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में सचिव शैलेश बगौली, डा. आर राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन सहित लोक निर्माण विभाग व सिचाई विभाग के अधिकारी तथा जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग एवं उधमसिंहनगर मौजूद रहे।

सर्वसाधारण को सूचना

परिषद् की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–184/2 क्षेत्रफल–162.00 वर्ग मीटर कार्यालय के प्रदेशन पत्र संख्या–2202/सं. प्र./दिनांक 30.07.1985 द्वारा श्री रवीन्द्र नाथ त्रिखा पुत्र स्व. चमन लाल त्रिखा के पक्ष में आंबटित किया गया था। आबंटी द्वारा उक्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा परिषद से दिनांक–08.11.1985 द्वारा प्राप्त किया गया था। आबंटी द्वारा आवश्यक विलेखों के निष्पादनोंपरान्त उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख परिषद से अपने पक्ष में दिनांक–27.03.1987 को निष्पादित करा कर, उप–निबन्धक कार्यालय किच्छा में दिनांक–21.05.1987 को पंजीकृत करा लिया था, तथा उक्त भूखण्ड की फ्री–होल्ड विलेख परिषद से अपने पक्ष में दिनांक– 30.10.2006 को निष्पादित करा कर, उप–निबन्धक कार्यालय किच्छा में पंजीकृत करा लिया था।
श्रीमती माया त्रिखा ने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा सूचित किया है कि उनके पति श्री रवीन्द्र नाथ त्रिखा पुत्र स्व. चमन लाल त्रिखा की मृत्यु दिनांक–03.07.2023 को हो गयी है, तथा अपने श्रीमती माया त्रिखा पत्नी स्व. श्री रवीन्द्र नाथ त्रिखा के पक्ष में उक्त भूखण्ड का अन्तरण कराना चाहती है।
यदि किसी व्यक्ति को परिषद की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–184/2 का अन्तरण श्रीमती माया त्रिखा पत्नी स्व. श्री रवीन्द्र नाथ त्रिखा के पक्ष में किये जाने में कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति विधि साक्ष्यों, प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर परिषद नियमानुसार उक्त भूखण्ड का अन्तरण श्रीमती माया त्रिखा पत्नी स्व. श्री रवीन्द्र नाथ त्रिखा के पक्ष में कर दिया जायेगा तथा बाद में किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी क्लेम (दावा) परिषद को मान्य नहीं होगा।
(पंकज कुमार उपाध्याय)
अपर आवास आयुक्त
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद
ऊधम सिंह नगर।

सर्वसाधारण को सूचना

परिषद् की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–ए–141 क्षेत्रफल– 175.75 वर्ग मीटर कार्यालय के प्रदेशन पत्र संख्या–4093/सं. प्र./ दिनांक 09.08.1983 द्वारा सचिव, राज्य कर्मचारी एवं मध्यम वर्गीय आदर्श जन कल्याण समिति, रूद्रपुर के पक्ष में आंबटित किया गया था। समिति द्वारा उक्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा परिषद से दिनांक–18.12.1983 को स्वयं प्राप्त किया गया था। समिति द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख परिषद से अपने पक्ष में दिनांक–14.12.1983 को निष्पादित करा कर, उप–निबन्धक कार्यालय हल्द्वानी में दिनांक– 21.12.1983 को पंजीकृत करा लिया था। श्री राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री मुंशी राम ने सूचित किया है कि राज्य कर्मचारी एव मध्यम वर्गीय आदर्श जन कल्याण समिति, सचिव श्री बीरबल प्रसाद दूबे पुत्र श्री रामजनम दूबे द्वारा उक्त भूखण्ड श्री मुंशी राम पुत्र श्री निहाल चन्द को विक्रय करते हुए विक्रय पत्र रु. 13357.00 के मूल्य पर उप–निबन्धक कार्यालय हल्द्वानी में दिनांक–18.06.1986 को पंजीकृत करा दिया गया था, तथा उनके पिता क्रेता श्री मुंशी राम पुत्र श्री निहाल चन्द की मृत्यु दिनांक–26.03.2013 व माता श्रीमती वंती रानी पत्नी श्री मुंशी राम की मृत्यु दिनांक–03.11.2023 को हो गयी है, साथ ही उक्त भूखण्ड को अपने श्री राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री मुंशी राम के पक्ष में अन्तरण कराना चाहते है। यदि किसी व्यक्ति को परिषद की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित भूखण्ड संख्या–ए–141 का अन्तरण श्री राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री मुंशी राम के पक्ष में किये जाने में कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति विधि साक्ष्यों, प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर परिषद नियमानुसार उक्त भूखण्ड का अन्तरण श्री राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री मुंशी राम के पक्ष में कर दिया जायेगा, तथा बाद में किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी क्लेम (दावा) परिषद को मान्य नहीं होगा।
(पंकज कुमार उपाध्याय)
अपर आवास आयुक्त
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद
ऊधम सिंह नगर।

दून मेडिकल कॉलेज में दूर हुई मेडिकल फैकल्टी की कमी

- 15 फैकल्टी व 2 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति को मिली मंजूरी

भास्कर समाचार सेवा

> सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शत-प्रतिशत फैकल्टी की नियुक्ति करना सरकार की प्राथमिकता में है। जिसके तहत मेडिकल कॉलेजों में लगातार फैकल्टियां नियुक्त की जा रही है। इसी क्रम में दून मेडिकल कॉलेज को लगभग डेढ़ दर्जन और फैकल्टी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, शीघ्र ही सभी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के पदों को पूरा भर दिया जायेगा।
> **- डॉ. धन सिंह रावत,**
> **चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।**

देहरादून। राज्य सरकार ने दून मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की समस्या को दूर करते हुये विभिन्न संकायों में रिक्त पदों के सापेक्ष 15 फैकल्टी तथा दो मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। जिससे मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू होगी साथ ही बेस टीचिंग चिकित्सालयों में मरीजों को बेहतर उपचार भी मिल सकेगा।

सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में गुणवत्तापरक मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सरकार ने मेडिकल फैकल्टी के रिक्त पदों को शत-प्रतिशत भरने का निर्णय लिया है। जिसके तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संकाय सदस्यों के पदों को तेजी से भरा जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज हेतु हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से डेढ़ दर्जन फैकल्टी का चयन किया गया है। जिसमें 04 प्रोफेसर, 02 एसोसिएट प्रोफेसर, 09 असिस्टेंट प्रोफेसर, एक मेडिकल ऑफिसर तथा एक लेडी मेडिकल ऑफिसर है।

ब्लड बैंक में प्रोफेसर के रिक्त पद पर डॉ. नेहा बतरा, इमरजन्सी मेडिसिन में प्रोफेसर पद पर डा. राकेश रावत, कार्डियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर पद पर डॉ. तनुज भाटिया, यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर पद पर डा. मनोज बिश्वास, ऑप्थलमोलॉजी विभाग के तहत एसोसिएट प्रोफेसर पद पर डॉ. दुष्यंत उपाध्याय तथा ऑब्स एंड गायनी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर डॉ. नीतू कोछड़ शामिल है। इसी प्रकार एनाटॉमी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर डॉ. चेतन शर्मा, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में डॉ. प्रियंका डोभाल, पैथोलॉजी विभाग में डॉ. दीपिका, साइकैट्री में डा. आशीष भण्डारी, पीडियाट्रिक्स में डॉ. पूजा अंथवाल, आर्थोपीडिक्स विभाग में डा. निशांत बसौया तथा डॉ. सन्नी दुआ नियुक्त किए गए।

उत्तराखण्ड पुलिस ने पांच राज्यों से मांगी सूचना और सुझाव

भास्कर समाचार सेवा

- साइबर अपराध की चुनौतियों से लड़ने की कवायद

देहरादून। साइबर अपराधों की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने साइबर अपराध तंत्र को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। अभिनव कुमार, पुलिस महानिदेशक ने पाँच राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश) के पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर साइबर अपराधों के प्रभावी नियंत्रण हेतु उनके राज्य में उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत जानकारी माँगी है। यह कदम उत्तराखण्ड में साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रबंधन में सुधार लाने के प्रयासों का हिस्सा है।

पत्र में विशेष रूप से जो जानकारी मांगी गई है उनमें साइबर अपराधों का विस्तृत विवरण, विगत तीन वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत पंजीकृत साइबर अपराधों के साथ-साथ अन्य संबंधित भारतीय दंड संहिता और बीएनएस के तहत अपराधों की जानकारी प्रमुख है। इसमें प्रत्येक राज्य से संख्यात्मक विवरण प्रदान करने की अपील की गई है, ताकि साइबर अपराधों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके। बुनियादी ढांचे का विवरणः पुलिस स्टेशन, जिला और राज्य स्तर पर साइबर अपराधों के नियंत्रण हेतु बनाए गए तंत्र की जानकारी, जिसमें साइबर अपराध इकाइयों की स्थापना, प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति और उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का विवरण शामिल है। विशेष व्यवस्था और प्रोटोकॉलः किसी भी बड़े साइबर संकट जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले, डेटा उल्लंघन और रैंसमवेयर जैसी घटनाओं से निपटने के लिए अपनाए गए प्रोटोकॉल एवं व्यवस्थाओं की जानकारी भी मांगी गई है। इसके अतिरिक्त, संकट प्रबंधन टीम और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों या राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी के विवरण की भी माँग की गई है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बताया कि यह पहल उत्तराखण्ड राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम और उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए है।

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कारपोरेट आईडेन्टीटी संख्या : U40109UR2001SGC025867, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, (दक्षिण), 18–ई0सी0 रोड, देहरादून।

विद्युत बाधित सूचना

कृपया उपरोक्त विषयक संज्ञान में लाना है कि विद्युत वितरण उपखण्ड, टर्नर रोड, दे०दून के अन्तर्गत आने वाले 33/11 के०वी० उपसंस्थान कारगी में 33 के०वी० आर०एम०यू० स्थापित किये जाने का कार्य एवं उपसंस्थान से निकलने वाले 11 के०वी० एस०टी०पी० फीडर में केबिल डाले जाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिस कारण निम्नलिखित फीडर से पोषित होने वाले क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति निम्नांकित तिथि में पूर्ण/आंशिक रूप से बाधित रहेगी।

दिनांक	समय	33/11 उपसंस्थान का नाम	11 के0वी0 फीडर का नाम	बाधित क्षेत्र
10.10.2024	प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक	कारगी	बंजारावाला	बंजारावाला, मोथरोवाला रोड़, मधुर विहार, मुस्लिम बस्ती, कन्हैयाविहार, एस०टी०पी०, भागीरथीपुरम, टी०एच०डी०सी०, बंगाली कोठी इत्यादि
			मोथरोवाला	
			बाईपास	
			कन्हैयाविहार	
			एस०टी०पी०	
10.10.2024	प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक	कारगी	कन्हैयाविहार	मुस्लिम बस्ती, बिजिलेंस आफिस, कन्हैया विहार इत्यादि

अतः समस्त सम्मानित उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वह इस कार्य हेतु अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बनाये रखे एवं विद्युत विभाग को सहयोग करने की कृपा करेंगें।

No.:- 534/EE(CM)/UPCL/A-2 Date:- 09.10.2024 अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्र हित में बिजली बचायें, बिजली बचाने हेतु एल0ई0डी0 बल्ब का प्रयोग करें। (टोल फ्री नं0 1912)
विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाइन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जाए। (विद्युत चोरी की सूचना टोल फ्री नं0 18001804185/फैक्स संख्या– 0135–2760911 पर दें।)

डीएम ने दिखाई हरी झण्डी : नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट मरम्मत हेतु वार्डवार 35 टीमें वाहन समेत की रवाना

डीएम का त्वरित एक्शनः निर्णय के 15 दिन के भीतर ही धरातल उतारी टीमें

भास्कर समाचार सेवा

टीमों को रवाना करते जिलाधिकारी सविन बंसल ।

देहरादून। जिलाधिकारी/प्रशासक सविन बंसल ने नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट के मरम्मत हेतु 35 टीमों को मय वाहन के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को 20 फॉगिंग एवं स्प्रे मशीनें उपलब्ध कराई।

जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में काफी समय से स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी थीं, जिनकी शिकायत स्थानीय जनता द्वारा प्राप्त हो रही थी। इसी के दृष्टिगत निगम क्षेत्र में खराब लाइट की मरम्मत के लिए वाहनों को रवाना किया गया है। जिलाधिकारी ने 25 सितम्बर को नगर निगम में आयोजित बैठक में लाईट मरम्मत कार्य नगर निगम से कराने का निर्णय लिया था, जिस पर त्वरित एक्शन लेते हुए धरातल पर टीमें उतारी। जिलाधिकारी ने कार्यों के सत्यापन के मैकेनिज्म को मजबूत करने हेतु रिपोर्टिंग अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए, जो टीम की उपस्थिति के साथ ही टीम के कार्यों तथा उपकरण की मांग का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। नगर निगम के कन्ट्रोलरूम प्रभारी लाईटिंग से सम्बन्धित शिकायतों को निर्धारित प्रारूप पर डेटासीट तैयार करते हुए सम्बन्धित रिपोर्टिंग अधिकारी/लाईट इन्सपैक्टर को प्रेषित करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में नगर निगम क्षेत्र में ईईएसएल कंपनी को शहर की स्ट्रीट लाइटों के मरम्मत व रखरखाव का जिम्मा दिया गया था किंतु कंपनी द्वारा सही प्रकार से अपने कार्य को संपादित नही किया जा रहा था। ऐसे में ईईएसएल कंपनी लाईट मरम्मत का कार्य वापस लेकर नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई।जिसके क्रम में आज ऐसे 35 टीमो को मय वाहनों सहित रवाना किया गया।यह समस्त टीम सौंपे गए अपने अपने वार्डो में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को सही करेंगी साथ ही प्रतिदिन शाम को अपनी रिपोर्ट से निगम को अवगत कराएगी।इसके साथ ही डेंगू और मलेरिया की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई 20 फॉगिंग एवं स्प्रे मशीनें क्षेत्र में फॉगिंग करेंगी। कहा कि निगम क्षेत्र में निवासरत स्थानीय जनता को किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना ना करना पड़े इस और वह लगातार कार्य कर रहे हैं।उनका प्रयास है कि शहर में व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए।इसके मद्देनजर वह लगातार प्रयासरत हैं। इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी संजय जैन सहित निगम के अधिकारीगण व कर्मचारी उपस्थित रहे।

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.
रजि. कार्यालयः 9, म.प. नगर, पहली स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर – 641607.
फोनः 0421-2221144, कॉर्पोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028.

|परिशिष्ट - IV-ए| [नियम 8(6) का परंतुक देखें]
अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

ई-नीलामी की तिथि: 13 नवंबर 2024

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसे SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) और 13(4) के प्रावधान के तहत अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के" 13.11.2024 को सुबह 11:00 बजे (बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय 12.11.2024 शाम 4:00 बजे तक) आधार पर बेचा जाएगा।

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने ओमकारा पीएस 22/2020–21 ट्रस्ट (ओएआरपीएल) के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड से अंतर्निहित सुरक्षा के साथ दिनांक 26 फरवरी 2021 के असाइनमेंट समझौते के तहत उपरोक्त उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता के खिलाफ पड़े पूरे बकाया ऋण का अधिग्रहण कर लिया है। तदनुसार, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने मूल सुरक्षित ऋणदाता FICCL के स्थान पर कदम रखा है और बकाया वसूलने और प्रतिभूतियों को लागू करने का हकदार बन गया है।

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का विवरण और नीचे उल्लिखित उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता से ओएआरपीएल के कारण ब्याज और व्यय के साथ बकाया राशि और अचल संपत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा और ज्ञात ऋणभार (यदि कोई हो) निम्न प्रकार हैं:

ऋण खाते का विवरण	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	न्यूनतम बोली वृद्धि राशि
1. सुरिंदर साही (उधारकर्ता) 2. लक्ष्मी शाही (सह–उधारकर्ता) 3. मनेन्द्र शाही (सह–उधारकर्ता)	दुकान नंबर 30 का भाग व हिस्सा, ब्लॉक नंबर सी में, दूसरी मंजिल पर, मेडो प्लाजा, जो संपत्ति नंबर 26 और 26–ए, राजपुर रोड, देहरादून का हिस्सा है, जिसकी माप 17.84 वर्ग मीटर है, जिसका स्वामित्व श्री सुरिंदर शाही और मनेंद्र शाही के पास है।	रु. 36,50,000/- (रूपये छत्तीस लाख पचास हजार मात्र)	रु. 3,65,000/- (रूपये तीन लाख पैंसठ हजार मात्र)	रु. 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार मात्र)

बकाया राशि	रु. 17,40,652.93/- भविष्य के ब्याज और भुगतान की तारीख तक